

बिहार सरकार
राजस्व विभाग
(भू-अर्जन शाखा)

अधिसूचना

एस० ओ० रा०- पटना दिनांक

चूंकि बिहार के राज्यपाल की यह प्रतिक्रिया होती है कि ग्राम-औरैया (मुर्तिया) प्रगन्ना थाना-आदापुर थाना न०-97 जिला पूर्वी चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एस० एस० बी० कम्पनी मुख्यालय कैम्प के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इनके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए पूर्वोक्त ग्राम-औरैया मुर्तिया थाना न०-97 के भीतर कमोवेश बीघा कट्टा धुर की मानक माप से 0.53 एकड़ के बराबर होता है, एक भू-खण्ड अपेक्षित है, जिसकी खेसरा संख्या-1357,1214 है।

पूर्ण खेसरा- 1357

अंश खेसरा- 1214

चौहदी

उत्तर -अंश खेसरा 1209

दक्षिण- अंश खेसरा 1214

पूरब- खेसरा 1211

पश्चिम- रैयती भूमि

यह अधिसूचना (बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा यथा संशोधित) अधिनियम -1,1894 की धारा -4 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध है।

उक्त भूमि का नक्शा भूमि-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी और उनके स्टॉफ तथा परियोजना के आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कमान्डेन्ट, 13 वीं बटालियन, एस० एस० बी०, पीपसाकोटी के पदाधिकारियों और स्टॉफ को प्राधिकृत करती है की वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा -(2) में यथा उपबंधित या यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूंकि बिहार के राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर/ कृषि योग्य है तथा उसका/ उनका तुरंत अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा (4) के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 के उपबंध उक्त भूमि/ भूमियों पर लागु नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

14/11/13
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
पूरी चम्पारण मोतिहारी,

समाहृत
पूरी चम्पारण, मोतिहारी

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

जि० भू-अर्जन पदा०
पूरी चम्पारण (मोतिहारी)

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पू० चम्पारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पू० चम्पारण को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पू० चम्पारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पू० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक पू० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6W
13/2/13
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।
a